an>

Title: Need to provide adequate compensation to farmers whose land has been acquired for construction of bridge on Sone River between Daudnagar and Nasariganj in Aurangabad.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) ः समाहर्ता, जिला औरंगाबाद, बिहार की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति द्वारा वर्ष 2016 में दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच पथ के लिए मौजा तरारी अवस्थित भूमि के किस्म के सर्वेक्षण के पश्चात् उक्त पंचायत में आम सभा आहूत कर किसानों को उचित दर पर मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया और किसानों द्वारा सहमति दी गई।

निर्णय के आलोक में 30 किसानों को मुआवजा भुगतान किया गया और शेष किसानों को निर्णय के आलोक में मुआवजा भुगतान न करने की बात की गई अर्थात् मुआवजा राशि को कम कर दिया गया। जिला समाहर्ता द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं देकर विकास कार्य बाधित किया जा रहा है जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के आचरण, कर्तव्य और दायित्व के विरूद्ध है।

आग्रह है कि मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए किसानों को समुचित मुआवजा भुगतान कराने की कृपा की जाए।